①

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला इन्दौर

क्रमांक./स्थापना–3/प्रा.शि.गायन वादन/2026/3189 इन्दौर, दिनांक 04/07/2026

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय–समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल,मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक गायन वादन पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक गायन वादन के पद में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है:–

SN	ROLL NO	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	6013250725880	14	AMITABH SHARMA F/H NAME-VIJAY PRAKASH SHARMA	696 THE AMBEYPURAM COLONY MAULAGARH AMBEYPURAM COLONY CHANDAUSI MORADABAD UTTAR PRADESH 224412	UR	UR/X/O	DISE-23260102624 GOVT SANDIPANI HSS MULTI MALHAR ASHRAM	Indore
2	6004250670041	24	KEERTI SHARMA F/H NAME-RAJKUMAR SHARMA	WARD NO 14 BHANDARA GHATI BHANDARA GHATI NARSINGHGARH RJH MADHYA PRADESH 465669	EWS	UR/X/F	DISE-23260105733 GHSS GIRLS BIJALPUR(1 to 12)	Indore
3	6004250629923	36	PALASH MIMROT F/H NAME-GOPAL MIMROT	430 PANCHAM KI PHEL NEAR CHHATRI INDORE IND MADHYA PRADESH 452003	SC	UR/X/O	DISE-23260101433 GOVT SANDIPANI HSS MAHARAJA SHIVAJIRAO CHIMAN	Indore
4	6006250806819	48	RADHA KULKARNI TIWARI F/H NAME-ASHUTOSH TIWARI	100 KHANDWA DATT NIWAS RAMA COLONY KHANDWA KHD MADHYA PRADESH 450001	UR	UR/X/F	DISE-23260105123 GOVT SANDIPANI HSS MALAW KANYA MOG LINE	Indore
5	6004250633784	83	VIKAS CHOUHAN F/H NAME-MEHTAB SINGH CHOUHAN	0 GRAM KHARAMPUR POST LABRAWADA TEH DHAR DHR MADHYA PRADESH 454001	OBC	OBC/X/O	DISE-23260507503 GHSS RALAMANDAL(1 to 12)	Indore
6	6002250654814	87	ASHOK KUMAR F/H NAME-MAHIPAL	232 VILL RASOOLPUR FARIDPUR POST KHEMPUR TEHSIL SUAR SUAR RAMPUR UTTAR PRADESH 244924	UR	UR/X/O	DISE-23260513709 PMShri-GHS JAWAHAR TEKRI (1 to 10)	Indore
7	6004250648951	145	DEEPAK BARLE F/H NAME-RAMESH	0 GRAM GAWAL POST BADUD SANAWAD KRG MADHYA PRADESH 451111	SC	UR/X/O	DISE-23260213905 GHSS CHORAL(1 to 12)	Indore
8	6004250635299	223	AKHILESH PANWAR F/H NAME-SHANTILAL PANWAR	96 ROHIDAS MARG JHABUA JHABUA JHB MADHYA PRADESH 457661	EWS	EWS/X/O	DISE-23260503806 GHS LASUDIYA MORI (1 to 10)	Indore

Continued on page ②

②

9	6004250785630	310	MRANAL NAGAR F/H NAME-DHEERAJ NAGAR	6 USHA FATAK JAIL ROAD INDORE IND MADHYA PRADESH 452001	SC	SC/X/O	DISE-23260511609 PMShri-GHSS HATOD(1 to 12)	Indore
10	6001250766594	346	RAVI MALVIYA F/H NAME-SANTOSH MALVIYA	32 JHONKAR NEAR GRAM PANCHAYAT SHAJAPUR SJP MADHYA PRADESH 465106	SC	SC/X/OP	DISE-23260401501 GOVT SANDIPANI HSS PAL KANKARIYA	Indore
11	6004250804516	1017	PREETI SINGAR F/H NAME-RAJESH SINGAR	375 ADIWASI BHIL COLONY MUSAKHEDI INDORE IND MADHYA PRADESH 452001	ST	ST/X/F	DISE-23260213826 GHSS EXCELLENCE MHOW(9 to 12)	Indore

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13 (राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें।समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूलप्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें।दस्तावेजो की सूची नम्नानुसार हैः–

I. नियुक्ति आदेश
II. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइलनंबर, ई–मेल एड्रेस
III. जातिप्रमाणपत्र (सक्षमस्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचितजाति, अन्य पिछड़ावर्ग प्रमाणपत्र)
IV. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
V. मूल निवासी प्रमाणपत्र
VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाणपत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज।
X. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।

continued on page ③

XI. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का Cप्रमाणपत्र

XII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची

XIII. अन्य पिछडावर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नही आने संवंधी घोषणा (परिशिष्ट– 1)

XIV. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट– 2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजो के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पद स्थापना स्थल पर पद भार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाणपत्र एव चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।नोटिस दिए जाने के पहले या बादमें यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीपः– यदि चरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य मे कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला इन्दौर

पृ. कमांक./स्थापना–3/प्रा.शि.गायन वादन/2026/3190 इन्दौर, दिनांक 04/07/2026

प्रतिलिपिः–

1 विशेष सहायक,माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्तविभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3 सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4 आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश।
5 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
6 महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
7 संभागायुक्त (राजस्व) इन्दौर संभाग इन्दौर मध्यप्रदेश।
8 संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग इन्दौर.मध्यप्रदेश।
9 कलेक्टर जिला इन्दौर मध्यप्रदेश ।
10 समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला इन्दौर, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले मे पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
11 संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र ।
12 चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश मे विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य अपनी उपस्थिति देवें।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला इन्दौर